

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

(फोन: 2545850, ई-मेल: dc-joddhis-rj@nic.in)

क्रमांक:- स्टोर/नीलामी/2026/93

दिनांक:- 30/05/2026

:: नीलामी सूचना ::

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला के केन्द्रीयकृत अभिलेखागार के मुख्यालय पर उपलब्ध नष्ट की हुई पत्रावलियों की रद्दी अनुमानित वजन 10-12 क्विंटल की नीलामी "जहाँ है जैसा है", उसी स्थिति में कार्यालय प्रांगण में दिनांक 15/06/2026 को प्रातः 11.00 बजे से शुरू कि जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अथवा नीलामी दिनांक को किसी कारणवश अवकाश होने की दशा में नीलामी कार्यवाही अगले कार्य दिवस को भी हो सकेगी।

नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा प्रति किलोग्राम की दर से बोली लगाई जायेगी।
2. नीलामी योग्य रद्दी कार्यालय स्थल पर यथास्थिति उपलब्ध है। जिसका अवलोकन इस कार्यालय के भण्डार में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है।
3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत बोलीदाता को जी.एस.टी. की स्व-प्रमाणित प्रति एवं फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार/वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक स्व-प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य है। इसके बिना नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन जारी नहीं किया जायेगा। फर्म की तरफ से उपस्थित प्राधिकृत व्यक्ति फर्म के लेटर पैड प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) मय अधिकृत मुहर प्रस्तुत करने पर ही नीलामी में भाग ले सकेगा।
4. नीलामी में भाग लेने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में 3000/- जमा कराना होगा, जिसे असफल बोलीदाता को नीलामी समाप्ति पश्चात लौटा दिया जायेगा। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि का प्रतिदाय भंडार प्रांगण से संपूर्ण माल उठाने के पश्चात् किया जायेगा।
5. सफल बोलीदाता को रद्दी का वजन कार्यालय द्वारा नामित कार्मिक के समक्ष पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटराइज्ड Weighbridge (धर्मकांटा) पर वजन कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। खाली वाहन का वजन तथा लॉडिंग रद्दी के साथ वजन कराकर पृथक्-पृथक् रसीद प्रस्तुत की जायेगी। जिस वाहन में सामान उठाया जायेगा उस वाहन की परिवहन विभाग में पंजीकृत प्रमाण पत्र (R.C.) की स्व-प्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराई जायेगी।
6. सामान ले जाने/उठाने/भराई-ढुलाई/माप-तौल आदि की कार्यवाही यथा वाहन किराया/मजदूरी/धर्मकांटा वजन आदि के समस्त खर्चे बोलीदाता को ही वहन करने होंगे।
7. नीलामी की अधिकतम उचित बोली प्राप्त होने पर नीलामी समाप्त करने या नहीं करने का निर्णय नीलामी समिति में निहित है। इसके लिए समय का कोई प्रतिबन्ध उस दिन नहीं रहेगा।
8. सामान की उचित बोली प्राप्त नहीं होने की दशा में नीलामी बोली अगले कार्य दिवस तक के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। जिसकी बोलीदाताओं को अलग से किसी भी प्रकार की सूचना आदि नहीं दी जावेगी या नीलामी बोली लगने के पश्चात सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
9. नीलामी बोली छूटने पर सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के अतिरिक्त सफल बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि नीलामी सूचना में अंकित अनुमानित वजन के अनुसार मौके पर ही नकद जमा करवानी होगी तथा शेष राशि वास्तविक वजन के अनुसार 03 दिवस में जमा करानी होगी।
10. सफल बोलीदाता को नीलामी की कुल राशि पर नियमानुसार प्रचलित GST की राशि पृथक् से विक्रय मूल्य पर तीन दिवस में जमा कराई जायेगी।
11. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि एवं मौके पर जमा कराई गई नीलामी राशि जब्त कर उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा नीलामी में प्राप्त अधिकतम बोली राशि पर अधिकतम द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में बोली छोड़ने की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा या समिति द्वारा नियमानुसार जो

निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णय को अभिलिखित करते हुए बोली पर कार्यवाही कि जा सकेगी।

12. सफल बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के पश्चात् ही सुपुर्दगी देय होगी। बोली राशि जमा कराये बगैर सामान उठाने/ले कर जानें की स्थिति में उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके विक्रय मूल्य/अन्य खर्चों की समस्त राशि बोलीदाता से वसूली जायेगी।
13. सफल बोलीदाता को मौका स्थल पर सुपुर्द किये गये सामानों की सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। किसी भी प्रकार की चोरी/छिजत/प्राकृतिक नुकसान आदि की घटना घटित होने पर नुकसान को इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता द्वारा संपूर्ण राशि जमा के पश्चात तीन कार्य दिवस में माल भंडार से उठाने/परिवहन करने की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कि जायेगी तथा न ही विभाग द्वारा किसी प्रकार के व्यय का पुर्नभरण किया जायेगा। माल उठाने/परिवहन के दौरान टूटने-फूटन पर विभाग कि जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. निर्धारित अवधि में माल भंडार प्रांगण से नहीं उठाने पर सामान के पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत की दर से भंडार का चार्ज पृथक से लिया जायेगा एवं 15 दिवस तक माल न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी तथा नीलामी राशि एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. बोलीदाता को यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि रद्दी का प्रयोग लुग्दी बनाने में किया जायेगा और भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को बोरो में भरकर पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से उसके संग्रहण, संधारण व उपचार स्थल तक ले जायेगा जिससे कि न्यायिक अभिलेखों के अंश इधर-उधर फैलने अथवा बिखरने से बच सके एवं अभिलेखों का किसी प्रकार से गलत उपयोग नहीं किया जायेगा।
17. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलामी तिथि स्थगित करने तथा बोली आंशिक अथवा पूर्णरूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। नीलामी संबंधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

— Sd —
अध्यक्ष, नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर जिला, जोधपुर

क्रमांक:- स्टोर/नीलामी/2026/94

दिनांक:- 30/05/2026

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

1. प्रभारी ई-कोर्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट [districts.ecourts.gov.in /jodhpur](https://districts.ecourts.gov.in/jodhpur) पर अपलोड हेतु।
2. स्टोर कीपर, न्यायालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय स्तर पर भी स्क्रेप व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों/फर्मों/डीलर/थोक व्यापारी जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत हैं, को सूचित किया जावे।
3. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला/महानगर जोधपुर/कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर/कोषालय (शहर), जोधपुर/सूचना एवं जन सम्पर्क, जोधपुर।

अध्यक्ष, नीलामी समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर जिला, जोधपुर